# *विदेशी मुद्रा गतिविधियां*

**मई 2010**

## (i) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (विप्रनि) - बिक्री के रूप में शेयरों/अधिमान शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण - संशोधित कीमत निर्धारण दिशा-निर्देश

भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए मौजूदा दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा की गयी है और तदनुसार अधिमानी आबंटन सहित शेयरों के निर्गम के संबंध में कीमत निर्धारण दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है। इस संबंध में जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में संशोधन करनेवाली 21 अप्रैल 2010 के जी.एस.आर. सं.341 (ई) के जरिये अधिसूचित 7 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. फेमा 205/2010-आरबी की एक प्रति संलग्न की गयी है।

इसके अतिरिक्त, 4 अक्तूबर 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.16 के जरिये निवासी से अनिवासी को तथा इसके विपरीत इक्विटी लिखतों के अंतरण के लिए कीमत निर्धारण दिशा-निर्देशों की भी पुनरीक्षा की गयी है और उक्त परिपत्र के संलग्नक के पैराग्राफ सं. 2.2 और 2.3 को तदनुसार संशोधन किया गया है । सभी क्षेत्रों में किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के अंतरण के लिए लागू संशोधित अनुदेश परिपत्र के अनुबंध में दिये गये हैं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.49
दिनांक 04 मई 2010 ]

## ii) विदेश यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी करना - करेंसी घटक

प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को उन्हें जारी समग्र विदेशी मुद्रा में से ईराक, लीबिया,

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रूसी संघ और कामनवेल्थ आफ इन्डेपेन्डेन्ट स्टेट्स के अन्य गणतंत्रों को छोड़कर अन्य देशों को जानेवाले यात्रियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विदेशी करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में 3000 अमरीकी डॉलर (2,000 अमरीकी डालर से) तक की विदेशी मुद्रा बेचने की अनुमति दी गई है ।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.50
ए.पी.(एफएल सिरीज) परिपत्र सं.7
दिनांक 4 मई 2010]

### iii) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति

मौजूदा क्रियाविधियों के उदारीकरण के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसी) अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा आइएफसी के रूप में वर्गीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बकाया बाह्य वाणिज्यक उधारों सहित, स्वचालित मार्ग के तहत उनके निजी निधियों के 50 प्रतिशत तक बाह्य वाणिज्यक उधार (ईसीबी) लेने के लिए अनुमति दी गई है, बशर्ते वे पहले से लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस) द्वारा उनकी निजी निधियों के 50 प्रतिशत से ऊपर बाह्य वाणिज्यक उधार (ईसीबी) लेने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा और अत: यह उधार अनुमोदन मार्ग के तहत समझा जाएगा । पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को स्व-चालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत बाह्य वाणिज्यक उधार आवेदन प्रमाणित करते समय मौजूदा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.51
दिनांक 11 मई 2010 ]

### iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 - चालू खाता लेनदेन-उदारीकरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 4 के अनुसार, तकनीकी सहयोग करार के तहत, जहां रायल्टी का भुगतान स्थानीय बिक्री पर 5 प्रतिशत से अधिक और निर्यातों पर 8 प्रतिशत है और एक-मुश्त भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है [विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची की मद सं. 8]। भारत सरकार ने विदेशी तकनीकी करार के उदारीकरण के संबंध में मौजूदा नीति की पुनरीक्षा की है और यह निर्णय लिया गया कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में अनुसूची II की मद सं.8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि हटा दी जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक रायल्टी के भुगतान और तकनीकी सहयोग करार के तहत एक-मुश्त भुगतान के लिए व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा का आहरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बिना, अनुमत कर सकते हैं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.52
दिनांक 13 मई 2010]

### v) एक्जिम बैंक की सिएरा लिओन गणराज्य सरकार को ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लिओन गणराज्य सरकार के साथ सिएरा लिओन में छः पेय जल परियोजनाओं, जिनमें मौजूदा सुविधाओं का पुनर्वास और लुंगी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, कैलहून जिला, व्हाइट वॉटर कम्यूनिटी-फ्रीटाउन, एलन टाउन कम्यूनिटी- फ्रीटाउन, वेलिंगटन- फ्रीटाउन, तथा टेंडर हिल

कम्यूनिटी- फ्रीटाउन, को पेय जल आपूर्ति के लिए नये इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए मशीनरी और उपकरण सहित सुयोग्य वस्तुओं तथा सेवाओं और भारत से परामर्शदात्री सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 30 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 फरवरी 2010 को एक करार किया है।

ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार 7 अप्रैल 2010 से प्रभावी है और इस करार के निष्पादन की तारीख 19 फरवरी 2010 है । इस ऋण सहायता के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 फरवरी 2016) होगी।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.53
दिनांक 18 मई 2010 ]

## vi) लॉटरी, धनराशि संचलन योजना, सस्ती निधियों (चीप फंड) के अन्य काल्पनिक प्रस्ताव, आदि में सहभागिता के लिए विप्रेषण

यह देखा गया है कि हाल ही में, धोखेबाज़ों से पत्र, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस, आदि के द्वारा सस्ती निधियों के बोगस प्रस्तावों में काफी इज़ाफ़ा हुआ है । भारतीय रिज़र्व बैंक के फर्जी पत्र-शीर्षों पर इस संबंध में सूचनाएं भेजी जा रही थीं और लोगों को फंसाने के उद्देश्य से इन्हें जानबूझकर बैंक के उच्च कार्यपालकों/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ दिखाया जा रहा था । कई निवासी इस प्रकार की लुभावनी पेशकशों (आफरों) के शिकार बने हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने काफी बड़ी धनराशि गंवायी हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले भी इस प्रकार की धोखाधड़ी वाली योजनाओं/ आफरों के संबंध में मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को सतर्क किया है। जनता को शिक्षित करने के लिए इस प्रकार के कई और अभियानों की योजना बनायी जा रही है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह भी लाया गया है कि धोखेबाज़ विभिन्न शीर्षों के तहत, जैसे प्रक्रिया शुल्क/ लेनदेन शुल्क / कर निपटान प्रभार / परिवर्तन प्रभारों, निकासी (क्लियरिंग) शुल्कों आदि के रूप में भोले-भाले लोगों से पैसे की मांग करते हैं । धोखेबाज़ अपने शिकारों को भारत में इन खातों में कुछ निश्चित धनराशि जमा कराने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं और यह धनराशि तत्काल ही निकाल ली जाती है । यह भी पाया गया है कि लेन-देन प्रभार आदि एकत्र करने के लिए वैयक्तिक नामों से या स्वामित्व (प्रोप्राइटरी) प्रतिष्ठानों के नाम से बैंकों की विविध शाखाओं में कई खाते खोले जा रहे हैं। अतः प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे खाते खोलने तथा उनमें लेन-देन अनुमत करते समय पूर्ण सावधानी बरतें और अत्यधिक सतर्क रहें । यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति यदि भारत के बाहर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के भुगतानों का संग्रहण करने और भुगतान करने/भेजने में शामिल होता है तो वह विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के उल्लंघन के कारण अपने प्रति कार्रवाइयों का उत्तरदायी होगा और इसके अलावा अपने ग्राहक को जानिये मानदंडों (केवाइसी)/धनशोधन निवारण (ऐंटी मनी लांडरिंग) मानकों से संबंधित विनियमों के उल्लंघन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.54
दिनांक 26 मई 2010]